न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह
आई.

प्रकरण संख्या 81 / 2022

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स बालाजी एन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री संजय कुमार सैनी पुत्र श्री नंदलाल सैनी, इन्द्रपुरा बस के पास, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
2. श्री नंदलाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, निवासी वार्ड नं0 15, सब्जी मंडी के पास, उदयपु जिला झुंझुनूं।
3. श्री श्यामलाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, निवासी वार्ड नं0 15, सब्जी मंडी के उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
4. श्री जमीर अहमद पुत्र श्री मनीर अहमद, निवासी वार्ड नं0 23, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्सट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है, ब संपति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री सतीश कुमार शर्माः— प्रार्थी बैंक की ओर से अनुपस्थित।
2. एडवोकेट श्री संदीप सैनी— अप्रार्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 29.03

प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य प्रकार है कि बैंक ने अप्रार्थी / ऋणी को कुल रूपये कैश केडिट ऋण राशि 90,00,000 /— के रूप गई ऋण सुविधा दिनांक 18.12.2015 को कैश केडिट ऋण के बाबत उपलब्ध कराई थी व ऋणियों / जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज मे अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री नं सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी की आवासीय मकान कुआं कानुहाला, सब्जी मंडी के पास, झुंझुनू उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं स्थित सम्पत्ति (बैंक मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग को प्रार्थी के हक मे बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी / ऋणी ने उपलब्ध को बैंक के नियमानुसार नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त ... दिनांक 31.05.2021 को एन0 घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी / ऋणी के ऋण खाते मे ... केडिट ऋण खाते मे राशि रू0 88,3 47 /— दिनांक 31.05.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 31.05.2021 को एनपीए घोषित होने के कारण "एक्ट" की 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (...) एवं ... जमानती को दिनांक ...02 रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रा द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नही करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्राथ को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि 88,3 47 /— दिनांक 31.05.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे कराना था, परन्तु ऋणी व जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही व के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व निलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:49 IST
Reason: SelfAttested

कायम रखने मे सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के स
सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम
लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं अन्तरण (निलामी) हेतु उपरोक्त प्रा
प्रस्तुत है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरणः– श्री नंदलाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी की आवासी
कुआं कानुहाला, सब्जी मंडी के पास, झुंझुनूं रोड, उदयपुरवाटी, जिला झंझुनूं (राज0) स्थित स
बैंक मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज) बैंक की सूचना के अनुसार उ
सम्पत्ति मान्यवर के क्षेत्राधिकार मे स्थित है।

सीमाएंः–

पूर्व मे श्री चिमनाराम की भूमि
पश्चिम मे ओपन भूमि
उत्तर मे रास्ता
दक्षिण मे नंदलाल सैनी का प्लाट

अतः प्राथी बैंक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, प्रा
की मद संख्या 6 मे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक व
करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं अंतरण (
) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। बार–बार आवाज लगाई गई। अन्तिम
सांय 5.45 पी0एम0 पर लगाई गई। अन्त मे प्रकरण मे एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने बहस के दौरान एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन कि
प्रार्थी द्वारा एक ही राशि 88,35,067 की वसूली हेतु दो अलग–अलग परिवाद पेश कर रखे है। अप्र
प्रार्थी को अब तक 64,50,000 रूपये की राशि जमा करवा दी है एवं शेष राशि भी शीघ्र जमा कर
प्रार्थी का खाता एनपीए से बाहर आ चुका है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं बहस
अप्रार्थी के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्र
एक ही राशि 88,35,067 की वसूली हेतु दो अलग–अलग परिवाद पेश कर रखे है। अप्रार्थी द्वारा
अब तक 64,50,000 रूपये की राशि जमा करवा दी है एवं शेष राशि भी अप्रार्थी द्वारा शीघ्र जमा क
का आश्वासन दिया गया है। प्रार्थी का खाता भी एनपीए से बाहर हो चुका है। प्रार्थी अपना पक्ष
लिए बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्राव
शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखित दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:49 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी
जिला कलक्ट
जिला मजिस्ट्रेट